इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-407-2012-5-एक.—श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट, उदय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में श्री भरत यादव, भाप्रसे उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल, द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-408-2012-5-एक.—श्री शिवनारायण मिश्रा, भाप्रसे (1990), सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-411-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजय नाथ, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अजय नाथ की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय नाथ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, वित्त विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-859-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-463-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. के. स्वाई की अवकाश अवधि में संबंधित विभागों का कार्य श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सीधे देखा जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. स्वाई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-861-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती के. वासुकी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम को दिनांक 19 नवम्बर 2012 से 18 जनवरी 2013 तक, इकसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 नवम्बर 2012 एवं 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएएस., तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-197-2012-5-एक (ए).—श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे (1979), अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से वापिस लेकर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 25 सितम्बर से 9 नवम्बर 2012 तक, छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, की निरंतरता में दिनांक 10 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-772-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 22 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री आशीष कुमार, राप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष कुमार कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., अपर कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 19 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2012 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 नवम्बर 2012 एवं 15, 16 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, उज्जैन के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, महु, जिला इन्दौर को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महू जिला इन्दौर के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2012 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को दिनांक 15 से 20 नवम्बर 2012 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-793-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय गोयल, आयएएस., संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 10 से 22 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 23 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री संजीव सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-454-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, आयएएस, विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में श्री एस. पी. एस. परिहार, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं आयुक्त पर्यटन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. परिहार, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-5-एक—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9, एवं 15, 16 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस, कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया, कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-544-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस, कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री के. पी. राही, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. राही, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-777-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7 से 24 दिसम्बर 2012 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन:पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्र. एफ. ए. 5-21-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री के. के. त्रिवेदी, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	26 से 31 जुलाई 2012 तक.	6 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.	–
2	1 से 17 अगस्त 2012 तक.	17 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दि. 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. ई-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—**संशोधन.**—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 जिसके द्वारा पैरा-1 में श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 22-12-2012 से 31-12-2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है, में "दिनांक 22-12-2012 से 31-12-2012" के स्थान पर "दिनांक 20-12-2012 से दिनांक 31-12-2012" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव 'कार्मिक'.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. एफ-11-127-2012-सूअप्र-एक-9 .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री इकबाल अहमद, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 16 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2012 तक हज यात्रा मक्का प्रवास एवं दिनांक 17 व 18 नवम्बर, 2012 को शासकीय अवकाश के साथ दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से 16 नवम्बर 2012 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने तथा दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 20-92-ब-2-दो.—श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, (1988) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 30 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे को गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत सपरिवार लक्षद्वीप मिनिकॉय की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेगें.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, (1988) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, (1988) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 48-2003-ब-2-दो.—श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, (1996) उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद को दिनांक 26 नवम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश 25 नवम्बर 2012 एवं 15, 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. संसवाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे,(1996) उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-1(ए) 112-86-ब-2-दो.—श्री सुखराज सिंह, भापुसे, (1984), महानिदेशक, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री सुखराज सिंह	—	स्वयं
2.	श्रीमती अमृत एस. सिंह	—	पत्नी
3.	कु. सिमरन सिंह	—	पुत्री
4.	कु. अमन सिंह	—	पुत्री
5.	मा. सर्वसुख सिंह	—	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुखराज सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुखराज सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखराज सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-3-128-बत्तीस-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(2)(क) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा इस अधिनियम के अधीन

समसंख्यक अधिसूचना 24 दिसम्बर 2011 के द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को पुन: परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है. पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र जिसमें 52 ग्राम सम्मिलित थे, को वर्धित कर 74 ग्राम सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती हैं:—

अनुसूची

पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

1. **उत्तर में**—पिपन्दा, लेबड़, सेजवाया, डेहरी, ताजखेड़ी, झलरिया, मोथला, बेटमा, बिजेपुर, माचल तथा गलोडा की सीमाएं.

2. **पश्चिम में**—धरावरा, नरलाय, मोकलाय, देहरी, सोनवाय, पिपल्या मल्हार गांव की सीमाएं.

3. **दक्षिण में**—कवटी, टिडी, भाटखेड़ी, गोपालपुरा, बंजारी, खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी, आसुखेड़ी, सुहागपुरी, सागौर, सुलावट, मिथोली, बकसाना, बगोदा, कुमार बराडिया, निजामपुरा, नाजिम बडोदा, मिर्जापुर.

4. **पूर्व में**—मिर्जापुर, गुणावद तथा पिपन्दा की सीमाएं.

इसी प्रकार पीथमपुर निवेश क्षेत्र में नगरपालिका पीथमपुर व नगरपालिका बेटमा के साथ तहसील धार के 22 ग्राम, तहसील देपालपुर के 25 ग्राम, तहसील इन्दौर के 3 ग्राम व तहसील महू के 8 ग्राम सम्मिलित हैं. सम्मिलित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:—

नगरपालिका पीथमपुर, जिला धार (14 ग्राम)—1. पीथमपुर, 2. धन्नड़खुर्द, 3. भोडिया, 4. अकोलिया, 5. बरदरी, 6. तारपुरा, 7. गवला, 8. सिलोटिया, 9. सागोर, 10. खेड़ा, 11. जामोदी, 12. आगरखेड़ी, 13. बगदून, 14. मंडलावदा.

तहसील धार के 23 ग्राम—1. सुलावड़, 2. लेबड, 3. सेजवाया, 4. डेहरी, 5. पीपंदा, 6. तलसाडा खुर्द, 7. सजवानी, 8. एकल दुना, 9. गुणावत, 10. मिर्जापुर, 11. नाजिक बडौदा, 12. निजामपुरा, 13. कुमार बारडिया, 14. उमरिया, 15. बगोदा, 16. बक्साना, 17. बिचोली, 18. उदली, 19. सौहागपुरी, 20. आशुखेड़ी, 21. माधवपुर, 22. कल्याणसीखेड़ी, 23. खण्डवा.

नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर—1. बेटमा

तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम—1. औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटोबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी, 5. मेढवाडा, 6. झलारिया, 7. मोथला, 8. पीर पीपल्या, 9. करवासा, 10. बंदीपुरा, 11. बिजपुर, 12. सलेमपुर, 13. रनमल बिल्लोदा, 14. काली बिल्लोद, 15. अम्बापुरा, 16. किशनपुरा, 17. बेटमा खुर्द, 18. भंवरगढ़, 19. बजरंगपुरा, 20. चिराखान, 21. माचल, 22. गलोडा, 23. धरावरा, 24. धन्नड, 25. बगोदा.

तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम—1. नरलाय, 2. मोकलाय, 3. देहरी.

तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम—1. केवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा, 5. बंजारी, 6. सोनवाय, 7. भोंसलाय, 8. पीपल्या मल्हार.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-3-116-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1506-1844-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 1977 द्वारा गठित शुजालपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं को निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:—

अनुसूची

शुजालपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. **उत्तर में**—ग्राम ताजपुर उकाला, सेसरामपुर, सलमपुर चित्तोड़ा तथा पिपलौदा की उत्तरी सीमा तक.

2. **पश्चिम में**—ग्राम पिपलौद, धारियाखेडी, झिरन्या, राणुगंज तथा महुघाट की पश्चिमी सीमा तक.

3. **दक्षिण में**—ग्राम महुघाट, नांदासुरा, कमल्या, किसोनी, शुजालपुर नगरपालिका की वर्तमान दक्षिणी सीमा तक तथा भीलखेडी की दक्षिणी सीमा तक.

4. **पूर्व में**—ग्राम भीलखेड़ी, नान्याखेड़ी अख्यारपुर तथा ताजपुर उकाला के पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 2843-1830-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की

उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. आशा वाजपेयी 2. श्री संतोष अग्रवाल

No. 2843-1830-2012-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justics Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hoshangabad	Hoshangabad	1. Asha Vajpayee 2. Shri Santosh Agrawal

क्र. 2843-1830-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व-जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. श्री अनिल अग्रवाल—अध्यक्ष 2. श्री महेश कुमार वाजपेयी—सदस्य 3. श्री अनिल कुमार झा—सदस्य 4. श्रीमती निर्मला माथंनकर—सदस्य 5. कु. अफरोज खान—सदस्य.

No. 2843-1830-2012-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hoshangabad	Hoshangabad	1. Shir Anil Agrawal —Chair Person 2. Shri Mahesh Kumar Vajpayee—Member 3. Shri Anil Kumar Jha —Member

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Smt. Nirmala Mathankar— Member
			5. Ku. Afroz Khan— Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-6(ए)-29-2007-1-पांच.—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 4 में निहित प्रावधानानुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक दास, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) को मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित सेवा-शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:—

(1) अध्यक्ष पद का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक रहेगा.

(2) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधाएं, जैसे मकान, वाहन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, दूरभाष, छुट्टी, यात्रा रियायत, अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी.

(3) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुए शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी. इस वेतन राशि पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा, किन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी.

(4) नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण बोर्ड के अध्यक्ष अन्य कोई व्यवसाय कार्य, सेवा आदि नहीं कर सकेंगे.

(5) अन्य सेवा-शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा-शर्तों के अनुरूप होंगी.

2. यह आदेश वर्तमान अध्यक्ष, अपील बोर्ड, मध्यप्रदेश श्री डी. एस. माथुर का कार्यकाल पूर्ण होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार-ऐ-शाहजहॉनी पार्क, भोपाल को दिनांक 4 दिसम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. एफ-13-14-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह की क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4308 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2 नवम्बर 2012 से 1 मई 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ-13-15-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह की क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 6 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3373 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 20 सितम्बर 2012 से 19 मार्च 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. एफ-13-17-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी विद्युत् गृह की क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4470 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 3 सितम्बर 2012 से 2 मार्च 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-13-13-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11 अगस्त 2012 से 10 फरवरी 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ-13-13-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 7 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3410 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 25 जुलाई 2012 से 24 सितम्बर 2012 तक, दो माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ-13-18-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 8 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 दिसम्बर 2012 से 28 फरवरी 2013 तक, तीन माह के लिए छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मो. रफीक खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1(1)33-2012-सी-ग्यारह-**संशोधन**.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2012 द्वारा सुश्री शशि सिंह, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के अवकाशकाल (दिनांक 17 अक्टूबर 2012 से 17 नवम्बर 2012 तक) में भोपाल-नर्मदापुरम संभाग का कार्य संचालित करने हेतु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन शक्तियां श्री एम. जे. कुरैशी, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रदत्त की गई है.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2012 की कंडिका 2 के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाय:—

"सुश्री शशि सिंह, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के अवकाश से लौटने तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. डी-15-630-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में अपेक्षा किये अनुसार, जिसका आशय पूर्व में संज्ञापित किया जा चुका है, छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में स्थित ग्राम बड़ामलहरा में स्थित खसरा क्रमांक 1607 में निहित 0.295 हेक्टेयर भूमि में से, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डी-15-20-2012-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012 में वर्णित भूमि कुल 0.230368 हेक्टेयर क्षेत्रफल को, कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के "मण्डी प्रांगण क्षेत्र" से वातिल (डी-नोटिफाई) करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. डी-15-630-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 11th December 2012

No. D-15-630-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 the Government of Madhya Pradesh hereby denotifies the area of 0.230368 hectare From Kharsa No. 1607 having 0.295 hectare land in Village Badamalhara of Tahsil Bijawar, District Chhatarpur from the "Market, Yard" of Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara, District Chhatarpur, intention of which as required in clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Said Act, has alreadey been signified in the Notification, issues by the State Government, vide No. D-15-20-2012-XIV-3, Bhopal, dated 13th September 2012.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-1951.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पत्र क्र. 1087-निर्वा. व्यय-2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचित व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव को नोटिस दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158-स्था.निर्वा. 2012 में लेख किया कि **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव** ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, गुढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-1952.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती लीलावती कुशवाहा,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पत्र क्र. 1087-निर्वा. व्यय-2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती लीलावती कुशवाहा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती लीलावती कुशवाहा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचित व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती लीलावती कुशवाहा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती लीलावती कुशवाहा को नोटिस दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158-स्था.निर्वा. 2012 दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि **श्रीमती लीलावती कुशवाहा** ने किसी प्रकार का अभ्योदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती लीलावती कुशवाहा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, गुढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-1953.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **सुश्री सरफुन्निशा,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010

तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पत्र क्र. 1087-निर्वा. व्यय-2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सरफुन्निशा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सरफुन्निशा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सरफुन्निशा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सरफुन्निशा को नोटिस दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अत: उनको दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158-स्था.निर्वा. 2012 में लेख किया कि **सुश्री सरफुन्निशा** ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सरफुन्निशा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, गुढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-245-10-तीन-1954.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, गुढ़, जिला रीवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुधा अवधिया,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** के पत्र क्र. 1087-निर्वा. व्यय-2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुधा अवधिया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुधा अवधिया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचित व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुधा अवधिया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती सुधा अवधिया को नोटिस दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अत: उनको दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158-स्था.निर्वा. 2012 में लेख किया कि **श्रीमती सुधा अवधिया** ने किसी प्रकार का अभ्योदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुधा अवधिया** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद्, गुढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर.सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 9338-3448-अका-विपप्र-2012 **संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न-पत्र सामान्य विधि द्वितीय (पुस्तकों सहित) दिनांक 8 अगस्त 2012 को सम्पन्न हुआ था, की विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8363-2012, दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षा का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
01	श्री राम कुमार	वनक्षेत्रपाल
02	श्री वीरेन्द्र कुमार	वनक्षेत्रपाल
03	श्री आर. के. सिंह	वनक्षेत्रपाल
04	कु. माधुरी वाड़िया	वनक्षेत्रपाल
05	श्री ब्रम्ह प्रताप सिंह	वनक्षेत्रपाल
06	श्री कैलाश बाबू गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
	सागर संभाग	
07	श्री राम कुमार अवधिया	सहायक वन संरक्षक
08	श्री नरेन्द्र सिंह परिहार	वनक्षेत्रपाल
09	सुश्री उर्मिला मरकाम	वनक्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र. 1906-भू-अर्जन-नहर-2012- प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	घटवा	6.175	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-11 एवं ठीकरी बायीं नहर निर्माण हेतु.

नोट :— (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1907-भू-अर्जन-नहर-2012- प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	देवला	1.176	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर की वितरण शाखा डी-1, डी-2 एवं डी-5 के निर्माण हेतु.

नोट :— (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 1913-भू-अर्जन-नहर-2012- प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	बलगांव	5.968	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर एवं उस पर प्रस्तावित वितरण शाखा डी-5 एल, डी-5 एल की उपनहर एम-1, तथा डी-1 की उपनहर एम-3 की एस एम-3 नहर के निर्माण हेतु.

नोट :— (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 2033-भू-अर्जन-नहर-2012- प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	भटगवला	13.128	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-1 की उपनहर एम-3 से निकलने वाली नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :— (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2038-भू-अर्जन-नहर-2012- प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	कालापानी	12.423	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट :— (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	कड़ोली	0.97 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट :— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	धनोरा	4.87 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट :— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सोमगांव कलां	2.14 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट :— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2, खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 12 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	कटनी, प.ह.नं. 43	निजी-0.146 कुल : 0.146	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतू संभाग.	कटनी नदी पुल निर्माण

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	नहर खेड़ा	6.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	धोबिनी	5.188	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	सेहुला	3.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. बी. पाटिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक के वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	अरनियाजौहरी	1.831 हेक्टे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 975-अ-प्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	गढ़ाकोटा	354/1 250/1 योग :	204.85 वर्गमीटर 0.07 वर्गमीटर 204.92 वर्गमीटर	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर (म.प्र.)	बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भू-अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. 3400-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पताई	1.570	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर एवं पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3402-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं. 4	2.220	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3404-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	4.960	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3406-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं. 1	0.590	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3408-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मांद न. 1	4.950	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की मांद माइनर की मांद सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3410-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	करारी	2.850	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3412-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कचूर पैपखार	1.650	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3414-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पचपहरा	3.540	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3416-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं. 5	1.340	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3418-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सहेबा	0.160	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3420-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पटना मुडवार	3.97	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3422-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बुड़वा	3.270	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की बुड़वा माइनर की बुड़वा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3424-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पिपरवार	5.840	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पिरवार माइनर नं. 1 की पिपरवार सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 3479-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरी 55/45	4.8	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 3481-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चितगढ	9.64	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 3483-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवरा कोठार	2.096	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 3485-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा कोठार	9.32	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	धमनी, प.ह.नं. 35/76	3.30	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	कटरा बेलखेड़ा, प.ह.नं. 35/79	0.63	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	कांटी, प.ह.नं. 28/76	1.21	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	बेजला, प.ह.नं. 28/76	0.03	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	मडपिपरिया प.ह.नं. 28/64	0.52	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	उड़ना, प.ह.नं. 32/73	1.10	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	मुस्करा, प.ह.नं. 32/73	1.80	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	पडरिया, प.ह.नं. 33/71	0.10	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	बढ़ैयाखेड़ा प.ह.नं. 32/79	1.08	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सिमरिया, प.ह.नं. 29/66	1.07	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	देवरी, प.ह.नं. 29/65	1.62	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सुरहिया, प.ह.नं. 29/66	0.63	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	पाटन, प.ह.नं. 24/56	0.02	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	धनेटा, प.ह.नं. 31/67	0.50	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	राखी, प.ह.नं. 30/67	0.23	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	बरबटा, प.ह.नं. 3/30	0.70	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	कुमगंवा प.ह.नं. 21/47	0.79	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सरखण्डी, प.ह.नं. 47/21	1.94	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	ज्वाब, प.ह.नं. 54/48	1.65	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	गडरपिपरिया प.ह.नं. 42/54	1.88	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	सहजपुर, प.ह.नं. 57/49	0.52	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	दिधौरा, प.ह.नं. 11/27	1.57	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	जुगतरा, प.ह.नं. 11/26	0.66	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सिमरा, प.ह.नं. 15/34	1.27	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13-भू.अ..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	बरौदा, प.ह.नं. 21/54	0.58	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सरोद, प.ह.नं. 11/26	1.69	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	करारी मनकवारा, प.ह.नं. 15/26	1.27	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	सिमरिया, प.ह.नं. 15/36	1.55	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 16-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—लधवाया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.122 हेक्टेयर.

(ब) सम्पत्ति का ब्यौरा—

मकान—शून्य, वृक्ष—शून्य, कुंआ—शून्य, अन्य संपत्ति—शून्य

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.213
12	0.143
13/1	0.251
13/2	0.204
16 मिन	0.016
17 मिन	0.169
18	0.070
24	0.075
25	0.521
31	0.033
54	0.077
56	0.243
57	0.153
73/मिन-2	0.225
74/2	0.781
83	0.283
84/1	0.083
85/1	0.199
316	0.294
318/1	0.584
318/2	0.021
322 मिन	0.358
322 मिन	0.359
322 मिन	0.359
323/1	0.366
323/2	0.123
324/2	0.307
335	0.429
336/1	0.183
योग :	7.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 76-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—ऐराया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.193 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1268	0.095
1966	0.098
योग :	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 84-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.03 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
147	0.090	0.02
129	1.210	0.22
130	0.350	0.15
134	1.760	0.01
125	0.440	0.20
124	0.400	0.17
123	0.490	0.18
81	0.440	0.20
83	0.910	0.19
84	0.110	0.06
85	0.090	0.06
67/मिन-1	1.600	0.50
67/मिन-2	0.390	
61	1.020	0.20
38/1	0.430	0.40
38/2	0.430	
39/मिन-1	0.030	0.01
39/मिन-2	0.880	
37	0.800	0.40
13	0.440	0.13
14	0.620	0.31
8	1.580	0.35
9	0.920	0.13
5	0.250	0.02
6	0.230	0.05
7	0.230	0.06
94	0.230	0.01
	योग . .	4.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 85-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—चकसोनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.86 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
225/2	0.523	0.25
216	0.282	0.18
215/1 मिन-1	0.815	0.34
212	2.561	0.02
207/2	0.575	0.07
159/2	0.994	0.14
160/2	3.595	0.60
160/4	0.209	
155/1	0.428	0.27
155/2	0.680	
143	0.449	0.03

(1)	(2)	(3)
142/1/1	0.250	
142/1/2	0.042	
142/1/3	0.314	
142/1/4	0.021	0.44
142/2/मिन-1	0.564	
142/2/मिन-2	0.376	
141/2/क	0.993	0.79
141/2/ख	1.525	
130/2	1.547	0.19
132/4	0.199	0.08
125/1	0.627	
125/2	0.596	
125/3	0.627	0.35
125/4	0.575	
125/5	0.418	
19	0.857	0.30
18	0.711	0.23
8	0.836	0.19
6	1.494	0.04
145/4	1.108	0.30
213/2	0.445	0.05
	योग . .	4.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 86-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—डंगोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.07 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
167/1	1.254	0.38
167/2	0.282	
168	0.324	0.03
169	0.073	0.01
165/मिन-1	0.836	0.49
165/मिन-2	0.408	
93	0.658	0.15
96	0.084	0.05
95	0.188	0.11
99	1.296	0.25
125/2	0.554	0.11
124/मिन-1	0.784	0.38
124/मिन-2	0.794	
124/मिन-3	0.784	
121	0.637	0.20
114/1	0.627	0.32
114/2/मिन-1	0.658	
114/2/मिन-2	0.418	
114/2/मिन-3	1.045	
117/मिन-1	0.418	0.38
117/मिन-2	0.418	
117/मिन-3	0.303	
115	0.376	0.05
97/1	1.255	0.06
97/2	1.254	
92	0.355	0.05
164/2	0.219	0.02
184	1.306	0.03
	योग . .	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 88-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—चपरोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
20	0.961	0.03
21/1	0.773	0.60
21/2	0.209	
21/3	0.627	
23/1/1	0.036	0.02
23/1/2	0.037	
23/2	1.60	
25/1/1	0.768	0.30
25/1/2	0.768	
25/2		
	योग . . 0.95	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 91-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सुपावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.233 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
2821	0.941	0.011
2819	0.449	0.105
2816	1.296	0.418
2815	1.223	0.052
2817	1.118	0.178
2812	0.230	0.074
2810	0.658	0.178
2811	0.617	0.198
2809	0.219	0.167
2808	0.857	0.042
1432	0.982	0.387
1431	0.073	0.021
1429/मिन-1	0.527	0.011
1429/मिन-2	0.219	
1425/मिन-1	1.065	0.271
1425/मिन-2	1.056	
1345	0.324	0.198
1346	0.354	0.062
1347	0.700	0.063
1406	1.108	0.377
1405	0.585	0.105
1407	1.954	0.062
1403	0.491	0.179
1402	1.254	0.282
1396/मिन-1	0.991	0.042
1396/मिन-2	0.336	
1393	2.404	0.084
1394	0.846	0.261

(1)	(2)	(3)
1391/मिन-1	0.617	0.052
1391/मिन-2	0.627	
1392/मिन-1	0.031	0.031
1392/मिन-2	0.032	
1388	0.669	0.366
1387	0.909	0.105
1262	1.630	0.230
1389	0.418	0.011
1267	1.306	0.271
1266/मिन-1	1.191	0.366
1266/मिन-2	1.191	
1048	1.076	0.293
1049	1.035	0.293
1074/2	0.105	0.042
1071	0.293	0.010
1072/मिन-1	0.627	0.293
1072/मिन-2	1.170	
1068	0.115	0.031
1344	0.334	0.011
	योग . .	6.233

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 92-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बिल्हैटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.96 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
2398/मिन-1	0.700	0.053
2398/मिन-2	0.700	
2397/2400	0.20	0.17
2397/मिन-1	0.580	
2397/मिन-2	0.790	
2387	1.270	0.02
2394	0.190	0.18
2393	0.220	0.10
2390	0.270	0.01
2392	0.190	0.13
2391	0.140	0.01
2305/मिन-1	0.170	0.60
2305/मिन-2	0.850	
2305/मिन-3	0.690	
2306	0.240	0.05
2304	1.010	0.17
2303	0.740	0.01
2307/मिन-1	0.030	0.02
2307/मिन-2	0.030	
2365/मिन-1	0.230	0.15
2365/मिन-2	1.230	
2365/मिन-3	0.470	
2365/मिन-4	0.520	
2308	1.300	0.30
2309	0.840	0.31
2171	0.740	0.05
2164	1.170	0.18
2166	0.610	0.37
2165	0.620	0.01
2158	1.560	0.42
2159/मिन-1	0.010	0.37
2159/मिन-2	0.240	
2159/मिन-3	0.880	
2153	0.300	0.01
2152	0.290	0.06
2138	0.280	0.09
2139	0.830	0.34
2141	0.860	0.05
2136	1.900	0.24
2063	0.410	0.13
2062	1.440	0.43
2055	1.980	0.10
2070	0.420	0.01
2071	1.210	0.21
2077	0.770	0.34
2078	0.707	0.09

(1)	(2)	(3)
2075	0.210	0.41
2098	0.150	0.07
2099	1.500	0.33
2095	0.070	0.05
2088	0.510	0.01
2094	0.100	0.02
2089	1.280	0.50
2090	0.730	0.06
1990	0.870	0.01
1989	0.460	0.23
1985	0.760	0.01
	योग . .	7.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. 9129-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—घोसीपट्टी, प. ह. नं.-15
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
16	0.10
17/2	0.04
18	0.45
21/1	0.05
21/2	0.05
22/2	0.32
22/3	0.30
24/2	0.22
योग . .	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9130-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—किशनपुर, प. ह. नं.-37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5	0.44
6	0.66
8	0.40
37	0.06
38	0.13
90	0.58
40	0.62
41	0.07
51/2	0.14
63	0.09
77	1.47
79	0.40

(1)	(2)
81	0.28
82	0.04
84	0.15
85/1	0.45
85/2	0.45
85/3	0.44
86	0.72
88	0.48
89	1.31
91	0.35
95/4	0.22
94	0.04
87/1	1.03
87/2	1.03
87/3	1.03
योग . .	13.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9131-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—जमुनिया, प. ह. नं.-28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.34 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
209/3	0.44
223	0.20
230/1	0.16
232/2	0.06
235	0.18
238/1	0.23
238/2	0.23
233	0.08
209/2	0.50
239/1	0.36
239/3	0.05
245	0.31
246/1	0.25
246/2	0.26
249/1	0.03
249/2	0.03
254	0.44
255	0.08
272	0.40
231	0.18
205/3	0.15
207	0.01
206/2	0.34
206/1	0.18
265	0.20
योग . .	5.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9132-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—कुकवारा, प. ह. नं.-23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
211	0.30
217	0.35
215/2	0.71
218	0.86
251	0.83
228/1	0.04
227	0.43
225/1	0.09
226	0.18
225/2	0.14
247/2	0.02
224	0.45
248	0.42
250	0.05
252	0.09
78	0.05
79/2	0.74
79/3	0.70
योग . .	6.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9133-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—मदनपुर, प.ह.नं.-21

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.70 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/1	0.67
8/2	0.70
22/2/2	0.03
11/1	0.20
11/2	0.35
11/3	0.14
11/4	0.29
22/1	1.24
28/1	0.04
28/2	0.02
29	0.02
योग . .	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9134-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—साबूढाना, प.ह.नं.-15

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.61 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
182/1	0.08
182/3	0.42

(1)	(2)
182/2	0.04
182/4	0.03
184	0.05
185	0.05
191	0.01
192	0.48
209	0.02
210	0.07
211	0.22
212	0.14
योग . .	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु, द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9135-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—बम्हनी, प. ह. नं.-15

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.79 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
167	0.08
170/1	0.07
169/5	0.07
170/2	0.23
170/3	0.12
171/1	0.35
182	0.02
183/1	0.12
185/2	0.08
186/1	0.05
187/1	0.08
186/2	0.04
187/2	0.06
186/3	0.05
187/3	0.08
372	0.10
382	0.04
390/1	0.30
390/2	0.16
390/3	0.14
390/4	0.20
394/1	0.10
394/2	0.10
394/3	0.05
394/4	0.04
393	0.02
394/5	0.09
394/6	0.18
394/7	0.12
394/8	0.02
384/2	0.05
384/3	0.71
384/9	0.12
511	0.02
512/1	0.10
512/3	0.20
512/4	0.20
512/2	0.21
510	0.16
506	0.02
402/1	0.28
403/1	0.02
407/1	0.14
407/2	0.08
407/3	0.06
413/2	0.66

(1)	(2)
423	0.17
422	0.02
435/2	0.35
425	0.02
190	0.04
योग . .	6.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9136-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—पटनाखुर्द, प.ह.नं.-16

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40	0.03
41/1	0.40
41/2	0.14
41/4	0.13
42/1	0.07
42/2	0.09
42/3	0.11
42/4	0.15
योग . .	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9137-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—जैतपुर, प.ह.नं.-22

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.13
11	0.17
3	0.11
13	0.40
16	0.21
योग . .	1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9138-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—जरूवा, प. ह. नं.-22

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
45	0.35
46	0.05
49/1	0.24
188	0.26
186	0.95
180/3	0.32
180/1	0.25
173	0.11
179	0.16
176/2	0.42
176/4	0.34
174/2	0.06
110/2	0.02
111	0.42
113/2	0.03
114/1	0.23
114/2	0.50
116	0.02
121	0.65
122/5	0.02
148/5	0.36
125	0.40
149	0.03
124	0.20
141	0.02
145	0.06
142/1	0.03
144	0.38
143	0.38
148/1	0.02
148/2	0.26
148/8	0.15
योग	. . 7.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9139-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—रामखेड़ी, प. ह. नं.-23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.90 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
194/2	0.12
198/2	0.09
194/3	0.06
197	0.45
198/1	0.18
202	0.24
198/3	0.12
198/4	0.12
198/5	0.06
199	0.35
201/1	0.24
201/2	0.56
204	0.16
205	0.15
योग	. . 2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9140-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—दलपतपुर, प.ह.नं.-14

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
147/1	1.25
147/2	1.16
148	0.15
150	0.42
149/2	0.24
153/3	1.03
योग	. . 4.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. 9937-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बीना

(ग) ग्राम—सनाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
189/1	0.18
189/2	0.19
योग	. . 0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 43-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—खताखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.093 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
164/2क	0.051
164/2ख	0.060
166/1/1	0.055

(1)	(2)
232/1	0.010
238/1	0.019
166/1/2	0.027
238/2	0.039
166/1/3	0.028
238/3	0.039
232/3	0.010
213	0.007
214	0.080
215	0.036
227	0.073
224	0.066
221/1	0.054
233/4	0.046
237	0.129
239	0.082
285	0.114
284/1	0.057
284/2	0.022
284/3/2	0.010
284/3 मि.	0.030
272/1	0.150
268	0.088
55/2	0.155
55/3	0.170
63	0.075
65	0.005
68/1	0.143
69/1	0.119
68/2	0.140
69/2	0.110
70/1/1	0.123
72/1	0.172
77/4	0.200
78/2	0.198
78/1	0.101
कुल रकबा . .	3.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सापन उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 45-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—लभाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.200
26/2	0.230
31/8	0.036
31/12	0.063
31/7	0.136
31/13	0.061
31/14	0.295
31/11/क/1	0.201
31/11/ख/3	0.187
79	0.216
81	0.072
153	0.165
78	0.134
76/1/4	0.046
74/4	0.210
36/8	0.046
40/8	0.010
76/2	0.232
36/4	0.080
40/4	0.051

(1)	(2)
152/3	0.200
155/5	0.165
36/2	0.017
40/2	0.018
36/3	0.083
40/3	0.023
36/1	0.140
36/7	0.040
36/9	0.031
40/9	0.018
36/6	0.030
36/5	0.033
152/4	0.057
150/1	0.028
150/2	0.050
38	0.090
50	0.031
52/1	0.031
कुल रकबा . .	3.756

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सापन उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 47-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—मोही

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.390 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
266/1	0.209
355/1	0.045
268	0.090
371	0.120
269	0.090
277/5	0.140
270	0.120
4/4/क	0.034
273	0.060
14/1/क	0.398
287	0.036
13	0.057
288/2	0.036
4/4/ख/1	0.015
289	0.086
4/4/ख/2	0.085
290	0.096
2/2/क/1	0.144
291	0.090
2/1	0.031
298	0.275
38/1	0.253
39	0.205
304	0.030
37/1	0.380
427/4	0.020
19/1	0.144
429/2	0.072
19/2	0.144
430/2	0.217
20/2	0.130
357	0.110
15/1	0.045
15/2	0.015
356	0.325
16	0.233
17/1	0.073

(1)	(2)
17/2	0.103
67/1/2	0.120
380/1/2	0.301
382	0.394
380/2	0.030
114	0.120
115	0.190
110/1/1	0.118
110/1/2	0.140
11/2क	0.023
221	0.020
222	0.190
370 मि./1	0.192
277/6/2ख	0.080
12/1/क	0.090
12/1/ख	0.090
34/3	0.150
6/1/ख	0.005
109/2/4	0.111
18/3	0.090
18/2/ख	0.040
18/1/क	0.090
18/2/क	0.050
कुल . .	7.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सांपन उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 49-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—बम्होरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26	0.010
25/1	0.046
25/2	0.108
23/1	0.100
23/2	0.034
22	0.108
85	0.034
86/1	0.034
91/2	0.021
18	0.011
29/1	0.050
9	0.045
10	0.035
8	0.106
7/1/1/क/1	0.018
2/2/ख	0.015
5/2	0.045
2/4	0.060
113	0.069
114	0.080
308/1	0.030
310	0.164
274	0.010
275	0.035
272	0.050
266/1 मि./1	0.020
267	0.120
258/1	0.022
308/2	0.030
कुल रकवा . .	1.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ सिंचाई मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 18-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—छीपानेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.513 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
11	0.445
1ख	
11	0.227
2	
5,7	0.311
1/2	
5,7	0.142
1/1	
24, 26	0.170
1	
24, 26	0.048
2/1	
24, 26	0.056
2/2	
24, 26	0.053
2/3	
24, 26	0.061
2/4	
कुल योग . .	1.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छीपानेर उद्ववहन सिंचाई योजना वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 09-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—रानीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.501 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58/1/1/1/2/2क	0.097
58/1/1/2/2	0.024
71, 136/72	0.073
1/1ख	
70/2,	0.020
72/2क	0.020
70/1	0.016
67	0.024
142/67/2/1	0.065
66/1/2, 68	0.073
66/1/1, 68	0.016
142/67/1/1/1	0.073
कुल योग . .	0.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छीपानेर उद्ववहन सिंचाई योजना अंतर्गत राजिंगमेन/जैक वैल एवं डिस्ट्रीब्यूटरी चैम्बर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—झकलाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.290 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
78/1	0.162
79/1	0.121
80/1ख	0.040
80/1क	0.080
81/1	0.080
84/1/2	0.024
84/2;3/1/2, 86	0.024
88/2	0.182
89/1	0.097
89/2क/1	0.024
89/2क/3	0.246
90, 91, 141/108/2/2	0.169
90, 91, 141/108/2/1ख	0.129
90, 91, 141/108/2/1ग	0.162
108	0.101
93, 94, 147/94/1ख	0.137
93, 94, 147/94/1क/2	0.032
93, 94, 147/94/1क/1	0.040
97, 98/2, 102 / 1	0.339
98/1क,	0.101
कुल योग . .	2.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छीपानेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—बगवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.849 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
427/2/1/2/1क 428, 429/2 / 2/1क	0.016
427/1/2/1ख 428, 429/2 / 2/1ख	0.291
432/1, 433, 435/1, 436, 437, 438 / 1	0.028
432/1/5, 433, 435/1, 436/2, 437, 438 / 5	0.263
432, 433, 435/1, 436/2, 437, 438 / 4	0.146
432, 433, 435/1, 436/2, 437, 438 / 3	0.105
कुल योग . .	0.849

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—छीपानेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—इछावर
(ग) ग्राम—हुलिया खेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.633 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
45/2	0.380
37, 38, 39, 40/1	0.210
37, 38, 39, 40/9	0.113
37, 38, 39, 40/10	0.032
101/1	0.138
113/99/1	0.024
101/2	0.138
101/3	0.138
101/4	0.138
112/99/1	0.028
112/99/2	0.020
113/99/3	0.024
113/99/5	0.016
113/99/2	0.024
99/2	0.210
कुल योग . .	1.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—राम दासी जलाशय की हुलिया खेड़ी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 09-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची में पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम/नगर—सावलखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.466 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127/10	0.0138
127/2	0.170
132/127/2	0.020
132/127/3	0.138
कुल योग . .	0.466

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरदानपुर उद्ववहन सिंचाई योजना के तहत नहर का निर्माण माइनर एक.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम/नगर—मरदानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.781 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.210
5/2	0.061
8, 287/8/2	0.061
10, 264/9/1	0.113
10, 264, 9/2	0.162
10, 264, 9/3	0.124
43, 286/43/4	0.142
43, 286/43/8	0.073
43, 286/43/6	0.271
43, 286/43/7	0.316
43, 286/43/12	0.101
43, 286/43/13	0.073
43, 286/43/14	0.243
43, 286/43/17	0.073
50	0.364
82	0.219
51/2	0.024

(1)	(2)
77/1	0.057
77/2	0.049
77/3	0.073
77/4	0.061
78/1	0.040
78/2	0.040
78/3	0.040
78/4	0.040
81/1	0.024
81/5	0.142
81/4	0.113
81/6	0.130
83, 84/2	0.170
83, 84/3	0.101
88/1क	0.061
88/2क	0.093
88/3क	0.041
88/4क	0.032
88/4ख	0.028
90/1	0.121
90/2	0.162
90/4	0.145
92/3	0.057
90/5	0.121
94	0.194
95/3	0.202
96/1	0.130
95/1	0.146
95/2	0.202
96/2	0.032
100/1	0.073
101	0.121
104/9	0.049
104/11	0.061
कुल योग..	5.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरदानपुर उद्ववहन सिंचाई योजना के तहत नहर का निर्माण माइनर एक, दो.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—कोड़ियाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.14 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
92	0.11
93	0.04
95/1	0.48
95/2	0.32
96	0.83
97/1	0.02
193	0.19
194/1	0.05
194/2	0.26
194/3	0.19
194/4	0.22
195	0.43
योग :	3.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—सिवरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.15 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
220	0.56
221	0.51
222	0.53
223	0.38
505/4	0.21
512/1	0.41
512/2	0.50
512/3	0.48
513/4	0.28
513/5	0.22
517	0.47
520	0.38
521	0.39
522/2	0.01
550/1	0.04
562	0.52
563	0.12
564	0.18
565	0.42
566	0.28
567	0.33
568	0.48
571/1	0.13
571/2	0.08
572/2	0.24
योग :	8.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा, के 2×800 मे.वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के जल परिवहन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-22-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—सिंधखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.31 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
239/1	0.05 पैकी
242	0.08 पैकी
243/1	0.39 पैकी
243/2	0.17 पैकी
243/3	0.14 पैकी
244	0.43 पैकी
245	0.05 पैकी
योग :	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत:

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—बीड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.53 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
192/2	पैकी 0.53
योग :	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. क-1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—हरदुवा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.37 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.15
8	1.95
14	0.21
18	0.09
10 में से	0.40
15	0.63
17	1.10
19	1.30
21	0.18
38	0.34
103 में से	0.11
39	1.42
40/290	0.19
32/1	1.30
32/2	1.29
33	0.72
33/293	0.89
34	0.95
35	0.06
36	0.41
55 में से	0.45
37	1.65
40	1.19
40/291	0.69
53	0.55
102 में से	0.15
57/1 में से	2.00
योग :	20.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हरदुआ जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1060.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—केंडर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.97 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
881	0.03
886	0.20
890/1	0.13
890/2	0.18
892	0.15
895	0.01
896	0.19
897	0.03
1274	0.10
1275	0.13
1276	0.03
1284	0.15
1285	0.01
1291	0.03
1293	0.17
1294	0.50
1304	0.14
1305	0.18
1306	0.01
1330	0.56
1344/3	0.04
योग :	2.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्र. 2057-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र.-35-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—रणगांव रोड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.849 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1/1, 2/3, 6/1, 6/4	0.364
2/5, 2/6/1, 6/3, 6/5/1	0.437
6/6/1, 7/1	0.308
9/1	0.740
योग :	1.849

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सालखेड़ा तालाब ऑक्सीलियरी वेस्टवियर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-9322-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—नागदा
(ग) ग्राम—रूपाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—रकबा 0.61 हे. एवं मकान 17571 वर्गफिट

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	परिसंपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
268 मी.	525 वर्गफिट	मकान
268 मी.	850 वर्गफिट	मकान
268 मी.	408 वर्गफिट	मकान
268 मी.	408 वर्गफिट	मकान
268 मी.	612 वर्गफिट	मकान
268 मी.	300 वर्गफिट	मकान
267 मी.	630 वर्गफिट	टापरी
267 मी.	315 वर्गफिट	प्लाट
267 मी.	630 वर्गफिट	प्लाट
267 मी.	408 वर्गफिट	मकान
267 मी.	300 वर्गफिट	मकान
267 मी.	300 वर्गफिट	मकान
267 मी.	676 वर्गफिट	मकान
267 मी.	480 वर्गफिट	मकान
267 मी.	480 वर्गफिट	मकान
267 मी.	660 वर्गफिट	मकान
267 मी.	450 वर्गफिट	प्लाट
314/4	0.04 हे.	मकान व भूमि
268 मी.	336 वर्गफिट	मकान
314/1	0.07 हे.	मकान व भूमि
268 मी.	276 वर्गफिट	प्लाट
268 मी.	210 वर्गफिट	मकान
314/2	0.34 हे.	भूमि
314/3	0.15 हे.	भूमि
268 मी.	600 वर्गफिट	प्लाट व हैण्डपंप-1 पी.एच.ई.
268 मी.	0.01 हे. एवं 2338 वर्गफिट.	मकान, प्लाट व यात्री प्रतीक्षालय.
267 मी.	5379 वर्गफिट	मकान-1, अशोक-2, नीम-1, बबूल प्लाट, हैण्डपंप पी.एच.ई.-1.
योग :	0.61 हे. एवं 17571 वर्गफिट	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-घिनौदा-जावरा बर ओटी. टू-लेन मार्ग निर्माण (रूपाखेड़ी) में स्थित निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि
(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—मड़गवां

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
816/1	0.22
815/2	0.01
816/2	0.09
815/3	0.21
815/1	0.09
809	0.25
808	0.05
534	0.01
186	0.06
554/2	0.14
555	0.15
556	0.02
558	0.06
559	0.05
561	0.04
560	0.04
653	0.20
554/1	0.01
332	0.13
331	0.11
328	0.10
323	0.20
322	0.14
321	0.12
179	0.06
180	0.04
183	0.07
184	0.08
189	0.07
191	0.07
192	0.10
198	0.04
199	0.09
200	0.15
201	0.20
203	0.01
योग :	3.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला, तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 65अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-10687.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—पोहर, पटवारी हल्का नम्बर—13

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.068 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
499	0.107
496	0.121
493/1	0.037
626/5	0.163
503/2	0.079
503/1	0.079
625	0.186
626/1	0.042
626/2	0.035
626/3	0.046
626/4	0.051
479	0.288
480/2	0.046
180/1	0.046
485/2	0.102
485/4	0.051
481/2	0.093

(1)	(2)
485/1	0.116
485/3	0.060
450/6	0.158
449/2	0.687
501	0.008
500	0.033
497/2	0.028
497/1	0.074
497/3	0.088
502	0.008
481/1	0.079
495	0.046
498	0.111
योग :	3.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. 1468-भू-अर्जन-2012-**संशोधन.**—इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर की योजना क्रमांक 165 में समाविष्ट ग्राम राऊ की निजी भूमि कुल रकबा 40.448 हैक्टर के अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अंतर्गत धारा 6 की घोषणा क्रमांक 1427-भू-अर्जन-2012, दिनांक 19 नवम्बर 2012 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 नवम्बर 2012 को पृष्ठ क्रमांक 4073 से 4076 पर किया गया है, उसमें अनुसूची के कॉलम नंबर (ग) में ग्राम राऊ के साथ **''योजना क्रमांक 165''** भी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—रजपुरा नं. व.-352, प.ह.नं. 22/47
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
282/1	0.23
284/1	0.30
300/3	0.32
योग :	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-4292-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	(ख) तहसील	(ग) ग्राम	(घ) अर्जित रकबा(हे.में)
उमरिया	बांधवगढ़	धनवाही	4.140
	—''—	देवडण्डी	6.604
	—''—	महुरी	2.640
	—''—	बिजौरा	5.937
	—''—	धनवार	4.984
	नौरोजाबाद	लहंगी	1.323
	—''—	डगडौवा	1.459
	—''—	देवरी	3.200
	—''—	मसूरपानी	3.291
	—''—	मोहगवां	0.556
	—''—	झींकाताल	2.333
	—''—	बडागांव	3.753
	—''—	सस्तरा	0.238
		कुल योग	40.458

ग्राम—धनवाही

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
113	0.906
126	0.540
146	0.040
129	0.753
130	0.120
131	0.468
132	0.008
132/169	0.254
136	0.521
135	0.063
144	0.221
148	0.095
125	0.097
123	0.054
योग :	4.140

ग्राम—देवदण्डी

(1)	(2)
211	0.020
217	0.208
227	0.384
226	0.813
225	0.332
224	1.146
223	0.226
222	0.404
218	0.068
236	0.191
241	0.309
237	0.113
240	0.034
239	0.014
235	0.022
234	0.040
288	0.052
242	0.088
416	0.040
409	0.026
410	0.017
411	0.026
412	0.048
406	0.041
404	0.005
405	0.010
388	0.020
398	0.086
391	0.100
392	0.091
374	0.110
371	0.096
370	0.004
366	0.131
367	0.008
358	0.215
362	0.074
358/450	0.011
360	0.110
349	0.134
347	0.072
109	0.124
110	0.116

(1)	(2)
84	0.090
85	0.023
82	0.060
83	0.084
79	0.168
योग :	6.604

ग्राम—महुरी

323	0.126
328	0.131
329	0.066
337	0.055
338	0.126
342	0.008
346	0.014
341	0.100
349	0.088
350	0.042
351	0.006
396	0.024
297	0.120
287	0.192
383/3	0.048
383/2	0.048
383/1	0.048
385/2	0.109
385/1	0.018
386	0.140
256/2	0.064
255	0.044
256/1	0.060
254	0.136
252	0.232
390	0.140
251	0.022
245	0.233
393	0.114
244	0.086
योग :	2.640

ग्राम—बिजौरा

165	0.523
168	0.088
147	0.096
145	0.149
142	0.123
143	0.114
178	0.070
180	0.026
181	0.096
183	0.132
184	0.096
185	0.123
186	0.096
190	0.006
191	0.061
192	0.057
193	0.022
233	0.382
232	0.308
231	0.030
228	0.352
219	0.158
95	0.118
94	0.097
52	0.539
52/283	0.091
88	0.205
89	0.129
85	0.200
86	0.058
87	0.387
71	0.981
72	0.024
योग :	5.937

ग्राम—धनवार

466	0.376
469	0.400
475	0.360
484	0.064
483	0.088
486	0.112
492	0.014
491	0.096
503	0.447
514	0.052

(1)	(2)
452	0.078
451	0.626
263	0.238
264	0.393
270	0.016
267	0.041
268	0.086
269	0.080
271	0.067
273	0.104
283	0.076
282	0.054
281	0.080
289	0.059
314	0.160
313	0.006
311	0.080
312	0.009
300	0.028
309	0.032
302	0.060
306	0.041
303	0.051
304	0.019
204	0.038
201	0.096
200	0.088
188	0.099
189	0.004
190	0.166
योग :	4.984

ग्राम—लॅहगी

4	0.045
7	0.124
8	0.186
12	0.220
69	0.292
68	0.163
82	0.127
81	0.117
80	0.049
योग :	1.323

(1)	(2)

ग्राम—डगडौवा

244	0.234
247	0.270
227	0.072
228	0.089
230	0.082
231	0.211
234	0.013
232	0.088
237	0.165
1	0.068
2	0.057
3	0.099
4	0.011
योग :	1.459

ग्राम—देवरी

301	0.128
344	0.109
343	0.002
302	0.116
303	0.086
342	0.005
306	0.093
309	0.203
322	0.038
323	0.110
324	0.089
397	0.048
326	0.002
396	0.044
409	0.051
411	0.134
158	0.084
157	0.006
173	0.168
181	0.066
180	0.090
179	0.018
177	0.009
178	0.126
109	0.036
108	0.114
107	0.030

(1)	(2)
105	0.096
106	0.120
85	0.087
84	0.087
60/429	0.102
58	0.114
59	0.095
61	0.077
62	0.171
64	0.086
65	0.081
66	0.075
87	0.004
योग :	3.200

ग्राम—मसूरपानी

157	0.594
153	0.118
154	0.204
156	0.017
141	0.154
128	0.136
130	0.102
117	0.176
112	0.054
114	0.073
299	0.075
298	0.045
297	0.004
277	0.009
296	0.078
295	0.090
368	0.264
369	0.156
370	0.142
379	0.192
335	0.104
334	0.080
333	0.169
330	0.028
329	0.036
328	0.033
323	0.158
योग :	3.291

ग्राम—मोहगवां

7	0.054
8	0.042
5	0.316
4	0.068
3	0.076
योग :	0.556

ग्राम—सस्तरा

298	0.193
299	0.045
योग :	0.238

ग्राम—झीकाताल

93	0.134
92	0.088
89	0.056
88	0.002
77	0.246
74	0.082
72	0.068
73	0.081
39	0.040
29	0.134
38	0.047
32	0.149
34	0.103
25	0.082
22	0.104

(1)	(2)
20	0.070
21	0.005
19	0.164
17	0.080
16	0.038
15	0.104
9	0.040
13	0.132
11	0.284
योग :	2.333

ग्राम—बड़ागांव

282	0.124
284	0.142
285	0.255
268	0.072
270	0.197
269	0.004
258	0.295
254	0.216
246	0.165
247	0.244
231	0.108
230	0.050
225	0.054
227	0.106
25	0.070
27	0.165
28	0.288
34	0.173
35	0.091
42	0.182
185	0.030
186	0.054
187/1	0.130
187/2	0.016
159/1	0.077
158	0.067
157/1	0.008
157/2	0.028
405	0.180
155	0.162
योग :	3.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धनवाही व्यपवर्तन योजना (शीर्ष एवं नहर) निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 3475-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—मजियार 447
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
488	0.080
मध्यप्रदेश शासन	0
महायोग . .	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की मुड़ियारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 9632-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित भी किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम उमरेठ, प. ह. नं. 05, ब. नं. 32, रा. नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —03.736 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
106	0.020
107/1	0.064
109/1	0.101
101	0.130
111/2	0.041
112	0.040
113/1	0.032
113/2	0.036
114/16	0.048
149	0.020
147/2	0.089
147/3	0.320
146	0.170
203	0.044
202	0.145
178/2	0.105
194/6	0.024
194/3	0.024
179/1	0.060
179/2	0.081
193/1	0.016
193/2	0.016
192	0.052
191	0.072
190	0.010
189/3	0.024
185	0.105
189/1	0.044
201	0.044
167	0.052
200/2	0.024
199	0.008
195	0.012
197/1	0.012
197/2	0.012
168/1	0.263
194/1	0.056
186	0.033
187/1	0.024
188/1	0.024
239	0.049
237/1	0.073
188/2	0.018
237/2	0.073

(1)	(2)
228/1	0.048
228/2	0.283
230	0.384
231/1	0.081
235	0.149
231/2	0.081
योग . .	03.736 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा(एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 5930-आर-1-12-प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की गारियाखेड़ी तालाब योजना (द्वितीय पूरक प्रकरण) के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—गरोठ
(ग) ग्राम—गारियाखेड़ी, देथलीबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.79 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
ग्राम—गारियाखेड़ी		
153	1.01	
154	1.03	
योग . .	2.04	
ग्राम—देथलीबुजुर्ग		
1029	0.15	
1083	0.30	
1084	0.30	
योग . .	0.75	
महायोग . .	2.79	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गारियाखेड़ी तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा-12-13-345.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला गुना, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	गुना	आवन	19	200.700
2	गुना	राघौगढ़	15	54.600
3	गुना	रूठियाई	15	270.800
4	गुना	मधूसूदनगढ़	24	60.600
5	गुना	बीनागंज	45	67.700
6	गुना	गुना	31	184.600
7	गुना	म्याना	8	17.500
8	गुना	झागर	18	10.700
9	गुना	बरखेड़ाहाट	7	19.900
10	गुना	रामपुर (आरोन)	15	42.100
11	अशोक नगर	अशोक नगर	21	141.300
12	अशोक नगर	सिकन्दरा	21	168.000
13	अशोक नगर	तारई	11	51.600
14	अशोक नगर	शाढोरा	11	77.00
15	अशोक नगर	ईशागढ़	26	197.800
16	अशोक नगर	सारसखेड़ी	15	70.100
17	अशोक नगर	अचलगढ़	15	196.900
18	अशोक नगर	चन्देरी	12	47.100
19	अशोक नगर	बहादुरपुर	20	86.800
20	विदिशा	सिरोंज	35	307.000
21	शिवपुरी	कोलारस	30	74.000
22	सीहोर	सीहोर	114	813.000
23	मुरैना	कैलारस	154	1088.800
		योग . .	682	4248.600

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायणपुरा (राघौगढ़), जिला–गुना (म. प्र.)

क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2012-13

केन्द्र—आवन, जिला गुना

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हे. में)	जड़ी (हे. में)	कुल योग (हे. में)	दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामपुरा	1	0.400	1.000	1.400	8
2	गावरी	10	6.600	3.600	10.200	7
3	पीपल्या	11	5.600	2.200	7.800	10
4	दीतलवाड़ा	34	14.100	17.500	31.600	11
5	मोहम्मद पुर	4	0.000	3.800	3.800	7
6	सुन्दर खेड़ी	25	8.800	7.200	16.000	5
7	पार्वती चौकी	2	1.400	1.200	2.600	6
8	सराय	8	2.000	2.600	4.600	5
9	प्रेमगढ़	22	10.500	6.400	16.900	7
10	पारकना	53	20.900	20.800	41.700	8
11	बैराखेड़ी	19	8.900	10.800	19.700	4
12	बरखेड़ी महाराजा	15	5.900	5.000	10.900	5
13	सारसहेला	1	0.000	2.000	2.000	6
14	आवन	9	5.800	3.800	9.600	7
15	गोविन्दपुरा	8	7.800	1.500	9.300	5
16	नारायणपुरा	2	3.600	0.600	4.200	1
17	सांकोन्या	4	1.800	1.800	3.600	3
18	नीमखेड़ी	5	2.400	1.400	3.800	7
19	मुहासा	1	1.000	0.000	1.000	6
	योग . .	234	107.50	93.20	200.70	

केन्द्र—राघौगढ़, जिला गुना

1	कदैया फार्म	1	0.000	2.500	2.500	25
2	सांवत खेडी	3	2.500	0.600	3.100	14
3	मेरखेड़ी	9	7.500	4.700	12.200	10
4	राजपुरा	2	1.000	0.800	1.800	10
5	रामनगर	2	0.200	0.600	0.800	15
6	खजूरी	1	0.800	0.400	1.200	20
7	मोतीपुरा	9	4.000	5.200	9.200	18
8	फेकरा	4	2.500	0.700	3.200	22
9	सुआखेड़ी	9	0.600	4.900	5.500	22
10	राघौगढ़	4	0.400	3.600	4.000	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नांदेर	1	0.000	1.000	1.000	30
12	अहमदापुर	1	0.000	0.500	0.500	25
13	पीलाघाटा	2	0.000	5.400	5.400	20
14	बरैया खेड़ा	4	0.000	3.400	3.400	20
15	पीपलखेड़ी	1	0.800	0.000	0.800	22
	योग . .	53	20.300	34.300	54.600	

केन्द्र—रूठियाई, जिला गुना

1	दावतपुरा	4	2.000	1.900	3.900	30
2	भुलाय	127	79.800	112.000	191.800	38
3	लाड पुरा	2	0.000	0.800	0.800	22
4	पगारा	1	0.400	0.600	1.000	20
5	रूठियाई	5	0.000	7.000	7.000	22
6	डोंगर	2	0.000	0.600	0.600	20
7	विजयपुर	3	0.000	3.000	3.000	21
8	कोटरा	7	2.700	3.600	6.300	35
9	बालाभेंट	9	0.800	6.000	6.800	35
10	धरनावदा	1	0.400	0.000	0.400	35
11	भैंरो पुरा	8	4.000	2.600	7.000	40
12	सनोतिया	2	0.000	1.200	1.200	35
13	सरवर पुर	2	0.200	1.200	1.400	40
14	बमूरिया	5	1.000	4.000	5.000	40
15	उदय पुरी	40	2.400	32.200	34.600	35
	योग . .	218	94.100	176.700	270.800	

केन्द्र—मधुसूदन गढ़, जिला गुना

1	गणेश पुरा	7	4.000	2.600	6.600	22
2	पीपल खेडी	6	0.800	3.800	4.600	16
3	धीना खेडी	1	0.400	0.200	0.600	34
4	किशन गढ़	1	0.000	1.000	1.000	22
5	जामनेर	2	0.400	0.200	0.600	25
6	दौलत पुरा	5	2.200	1.000	3.200	23
7	किशन खेड़ी	2	0.000	0.600	0.600	35
8	शंकर पुरा	5	3.000	0.200	3.200	40
9	परेवा	8	0.400	3.200	3.600	23
10	टोडरा	3	0.400	1.400	1.800	22
11	मेरू खेडी	1	0.000	2.000	2.000	35
12	एमना खेडी	1	0.000	0.600	0.600	50
13	सालोटा	30	14.800	11.000	25.800	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	बील खेडा	2	0.000	0.800	0.800	50
15	धपरयाई	1	0.000	0.200	0.200	50
16	मधुसूदन गढ	1	0.000	0.400	0.400	40
17	तोरई	1	0.000	0.400	0.400	45
18	शंकर पुरा (उकावद)	1	0.000	0.200	0.200	62
19	नालाझिरी	2	0.000	0.400	0.400	75
20	हरिपुरा	1	1.000	0.000	1.000	25
21	चैनपुरा	1	0.800	0.000	0.800	35
22	गोचाआमल्या	2	1.200	0.000	1.200	20
23	गोरीपुरा	1	0.400	0.000	0.400	35
24	चौंडाखेडी	1	0.000	0.600	0.600	20
	योग . .	86	29.800	30.800	60.600	

केन्द्र—बीनागंज, जिला गुना

1	अरन्या	1	0.000	0.400	0.400	27
2	रमडी	1	0.200	0.200	0.400	19
3	लहरचा	1	0.000	0.400	0.400	25
4	नारायण पुरा	10	0.600	2.300	2.900	34
5	लाछौनी	2	0.800	0.100	0.900	32
6	रामटेरी	1	0.000	1.200	1.200	32
7	हिंगोनी	1	0.000	0.600	0.600	42
8	कोन्या कलां	2	0.000	0.500	0.500	35
9	तेलीगांव	4	0.600	1.000	1.600	40
10	बनेट	1	1.000	2.000	3.000	25
11	नैनवास	2	0.200	0.100	0.300	42
12	बटावदा	2	0.800	0.200	1.000	41
13	खटकिया	4	0.500	1.000	1.500	8
14	ऊपरी	7	3.400	2.800	6.200	14
15	चक ऊपरी	10	2.400	4.300	6.700	16
16	मानपुरिया	1	0.200	0.400	0.600	14
17	केशोपुरा	4	0.700	0.200	0.900	30
18	काना खेडी	6	4.200	2.400	6.600	18
19	कुर वाई	2	0.000	1.400	1.400	24
20	तुलसी खेडी	1	0.000	0.500	0.500	22
21	मानक चौक	1	0.000	0.400	0.400	16
22	मृगवास	10	2.000	1.700	3.700	38
23	पटना खेडी	1	0.800	0.800	1.600	37
24	भूमला खेडी	3	0.000	0.400	0.400	36
25	सांकाकला	4	1.600	3.800	5.400	21
26	गोरया खेडा	1	0.000	0.400	0.400	24
27	गुलवाडा	1	0.000	0.400	0.400	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	गंगापुर (ऊपरी)	1	1.800	0.000	1.800	15
29	कैंकडया खुर्द	2	1.600	0.000	1.600	25
30	कैंकडया कलां	2	1.400	0.000	1.400	24
31	सौरती	1	0.600	0.000	0.600	45
32	बकान्या	1	0.300	0.000	0.300	30
33	पीपलखेड़ी डांग	1	0.400	0.000	0.400	32
34	पीपल खेडी	4	0.000	0.600	0.600	30
35	पैंची	1	0.200	0.000	0.200	30
36	जतावा	2	0.000	0.800	0.800	40
37	चन्दीपुर	2	0.200	0.800	1.000	42
38	सेमलीहाट	3	0.000	0.800	0.800	38
39	खजूरी	11	1.100	3.300	4.400	35
40	कोलूखेडी	1	0.000	0.200	0.200	32
41	खानपुरिया	2	0.000	0.600	0.600	35
42	जावर	2	0.000	0.800	0.800	50
43	सादला	2	0.600	0.700	1.300	55
44	रायपुरा (मृगवास)	1	0.400	0.000	0.400	35
35	रामपुरया	1	0.200	0.400	0.600	18
	योग . .	124	28.800	38.900	67.700	

केन्द्र—गुना, जिला गुना

1	सिंगवासा	2	1.000	7.000	8.000	45
2	मावन	1	0.000	1.200	1.200	52
3	पिपरौदा कला	2	1.000	4.800	5.800	53
4	पीतम पुर	6	7.000	16.600	23.600	56
5	देवरीमार	4	0.200	0.700	0.900	65
6	कोलुआमार	1	0.000	0.300	0.300	66
7	कुशमौदा	1	0.000	1.400	1.400	41
8	नयागांव	2	0.200	0.600	0.800	52
9	ढोलवाज	1	0.000	0.100	0.100	52
10	बरोदिया खुर्द	33	8.500	8.400	16.900	53
11	नेगमा	8	0.600	1.200	1.800	51
12	हनुमत पुरा	3	0.300	1.100	1.400	58
13	पाटई	2	2.800	5.500	8.300	55
14	तिल्ली खेडा	30	1.500	5.400	6.900	64
15	कमलापुर सरखण्डी	29	33.600	39.600	73.200	60
16	माहौर	3	0.000	0.1000	1.000	64
17	भिडरा	7	0.000	1.000	1.100	65
18	मोहनपुर	1	0.000	0.400	0.400	67
19	मुहाल पुर	12	2.100	1.600	3.700	47
20	विनायक खेडी	3	0.200	0.700	0.900	47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	नोहर	5	1.000	1.500	2.500	60
22	छीपाने चक्क	3	0.800	2.000	2.800	58
23	सरखो	11	3.400	4.600	8.000	62
24	रसूल पुर	2	0.000	0.600	0.600	62
25	बरखेडा गिर्द	5	0.000	1.800	1.800	58
26	लोहपाल	2	0.000	0.200	0.200	62
27	परसौदा	29	3.600	4.800	8.400	63
28	सिरसी खुर्द	2	0.400	0.000	0.400	62
29	गेहूं खेडा खुर्द	2	0.000	0.400	0.400	56
30	खिरिया	1	1.200	0.000	1.200	65
31	चीरखेड़ा	1	0.600	0.000	0.600	60
	योग . .	214	70.000	114.600	184.600	

केन्द्र—म्याना, जिला गुना

1	धमनार	2	0.200	0.400	0.600	62
2	गाजीपुर	1	0.000	0.200	0.200	75
3	खुट्यावद	2	0.000	0.600	0.600	63
4	डुंगासरा	1	0.000	0.300	0.300	69
5	अजलेश्वर	3	3.000	1.800	4.800	104
6	बल्लापुर	2	0.000	0.200	0.200	60
7	सगोरिया	5	0.400	1.100	1.500	71
8	बैघाई	7	4.400	4.900	9.300	
	योग . .	23	8.000	9.500	17.500	

केन्द्र—झागर, जिला गुना

1	बैरखेडी	2	0.000	0.400	0.400	59
2	मुराद पुर	3	0.000	1.300	1.300	65
3	शेख पुर	2	0.300	0.500	0.800	63
4	धानन खेडी	1	0.200	0.100	0.300	67
5	परवाह	1	0.000	0.300	0.300	76
6	सामर सिंगा	1	0.000	0.200	0.200	65
7	पीरूखेडी	3	0.400	0.500	0.900	74
8	डूमेला	1	0.000	0.300	0.300	60
9	सूजाखेडी	4	1.000	0.000	1.000	
10	आंतरसूना	1	0.400	0.000	0.400	63
11	भूराखेडी	2	0.600	0.100	0.700	70
12	अमरदा	1	0.200	0.000	0.200	83
13	भिडरा	1	0.200	0.000	0.200	81
14	झिरी	2	0.400	0.000	0.400	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	मछरया	3	0.300	1.100	1.400	55
16	कर्राखेडा	1	0.000	0.800	0.800	60
17	मगरोडा	2	0.600	0.000	0.600	55
18	गणेशपुरा	1	0.000	0.500	0.500	92
	योग . .	32	4.600	6.100	10.700	

केन्द्र—बरखेडाहाट, जिला गुना

1	भादौर	1	0.000	0.200	0.200	64
2	बरखेडाहाट	5	0.000	1.200	1.200	55
3	सेमरा खुर्द	6	0.700	2.200	2.900	65
4	आरोन	8	4.000	5.700	9.700	42
5	नठाई	1	0.000	0.200	0.200	83
6	रिजोदा	1	0.400	0.000	0.400	–
7	सिरसी	3	3.400	1.900	5.300	52
	योग . .	25	8.500	11.400	19.900	

केन्द्र—रामपुर, जिला गुना

1	हिनोतिया	2	0.500	0.200	0.700	66
2	रहीमपुर	7	0.400	2.500	2.900	60
3	बंदीपुर	2	0.600	1.100	1.700	65
4	मोहन खेडी	2	0.600	0.800	1.400	70
5	करई खेडा	6	2.200	2.300	4.500	61
6	रायपुर	5	0.000	0.600	0.600	61
7	रामपुर	2	0.000	0.600	0.600	58
8	बकान	4	1.000	1.500	2.500	54
9	परासरी	2	1.800	1.300	3.100	57
10	हुसैनपुर	16	3.400	12.300	15.700	81
11	शाह पिपरिया	1	0.000	3.400	3.400	90
12	शालेय	1	0.000	0.500	0.500	56
13	कुन्दौली	2	0.000	1.000	1.000	102
14	गेहूं खेडा	1	0.200	0.000	0.200	70
15	शहबाजपुर	2	3.300	0.000	3.300	75
	योग . .	55	14.000	28.100	42.100	

केन्द्र—अशोक नगर, जिला अशोक नगर

1	अशोकनगर	1	0.400	0.400	0.800	88
2	उमरिया माफी	1	0.000	2.600	2.600	101
3	कजराई	3	2.600	16.800	19.400	103
4	कुन्दौली	3	0.800	2.800	3.600	102
5	खडीचरा	11	13.200	18.600	31.800	101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नानक पुर	1	2.000	0.000	2.000	106
7	पिपनावदा	6	1.900	1.800	3.700	96
8	पंवार गढ़	3	1.200	1.600	2.800	92
9	बामौरी भीमा	6	6.000	10.400	16.400	98
10	बरखेडा लाल	5	4.100	5.600	9.700	102
11	रांवसर	2	0.600	1.400	2.000	95
12	लखेरी बसारती	3	2.000	3.000	5.000	101
13	सागर (बरिया चक)	8	5.400	4.400	9.800	103
14	सलमाई	3	1.400	0.800	2.200	101
15	खिरिया गुम	3	5.000	9.800	14.800	106
16	हिन्नौदा	2	2.200	1.000	3.200	87
17	छपराई	1	0.000	0.800	0.800	106
18	बेरखेडी तूमैन	2	1.400	1.400	2.800	102
19	पीपल खेड़ा	4	2.500	0.000	2.500	93
20	सहोदरी	1	0.000	1.000	1.000	98
21	मनकपुर	4	1.600	2.800	4.400	90
	योग . .	73	54.300	87.000	141.300	

केन्द्र—सिकन्दरा, जिला अशोकनगर

1	अमाही	4	3.600	1.600	5.200	94
2	अनन्तपुर	5	0.800	3.600	4.400	102
3	आमखेडा	2	1.000	1.000	2.000	101
4	बरखेडा छज्जू	5	1.000	4.000	5.000	103
5	घरोई	4	1.600	1.600	3.200	93
6	खजूरियां कला	7	1.500	12.700	14.200	103
7	जलालपुर	22	19.300	7.800	27.100	93
8	महुआ खेडा	3	1.000	1.400	2.400	106
9	मोहरीराय	4	1.000	2.600	3.600	89
10	नगेश्री	14	11.300	7.100	18.400	92
11	शहबाजपुर	10	3.800	8.600	12.400	101
12	सिकन्दरा	27	14.600	16.200	30.800	92
13	तूमैन	13	11.200	9.500	20.700	96
14	धतूरिया	1	0.600	0.000	0.600	96
15	गोपालपुर	1	0.000	1.600	1.600	101
16	जुग्या	6	2.600	6.000	8.600	101
17	भेटुआ	1	1.000	0.000	1.000	104
18	सुमेर	6	1:000	2.800	3.800	101
19	मढ़ी तूमैन	3	1.600	0.200	1.800	94
20	करैया बुद्धू	1	0.000	0.400	0.400	101
21	ककरुया राय	1	0.800	0.000	0.800	103
	योग . .	140	79.300	88.700	168.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र—तारई, जिला अशोकनगर						
1	सीगोन	3	1.000	1.400	2.400	110
2	खैराई	5	1.600	9.000	10.600	102
3	मर्दन खेड़ी	1	0.400	0.400	0.800	111
4	कुकरेठा	3	6.800	7.400	14.200	111
5	भटोली	1	0.000	2.800	2.800	116
6	डोंगर	4	1.200	1.600	2.800	110
7	जियाजीपुर	4	4.200	2.000	6.200	111
8	तारई	2	1.400	3.400	4.800	103
9	बमनाई	2	0.000	1.600	1.600	112
10	भरिया खेड़ी	1	0.800	0.000	0.800	102
11	नीमखेड़ा	4	3.200	1.400	4.600	120
	योग . .	30	20.600	31.000	51.600	
केन्द्र—शाढौरा, जिला अशोकनगर						
1	भौंसले गाँव	11	10.000	13.200	23.200	69
2	सेजी	2	0.500	1.300	1.800	67
3	पीली घटा	5	4.000	6.300	10.300	66
4	सिलावन	4	2.600	5.500	8.100	74
5	बगुल्या	6	1.000	3.100	4.100	80
6	चारौदा	3	4.000	8.000	12.000	70
7	चक्रचारौदा	3	2.500	4.000	6.500	70
8	गरेठा	3	2.000	1.600	3.600	107
9	चकचिरोली	3	0.500	1.300	1.800	82
10	बल्दाई	2	4.000	1.000	5.000	73
11	फरदाई	2	0.000	0.600	0.600	78
	योग . .	44	31.100	45.900	77.000	
केन्द्र—ईसागढ़, जिला अशोकनगर						
1	जमडेरा	3	5.400	13.400	18.800	130
2	ईसागढ़	4	1.200	2.000	3.200	120
3	महुअन	3	3.800	1.400	5.200	129
4	ढाकोनी	13	6.200	15.400	21.600	116
5	राजाडेहर	3	1.000	3.600	4.600	126
6	नरसू खेड़ी	10	8.800	6.600	15.400	115
7	कुलवार	2	1.000	1.600	2.600	118
8	कुम्हरिया	2	3.800	0.200	4.000	114
9	कबीरी	9	3.400	8.400	11.800	118
10	इमझेरा	4	0.200	2.200	2.400	126
11	कालीटोर	3	3.000	3.000	6.000	119
12	शंकरपुर	8	2.600	5.800	8.400	120
13	सरजापुर	2	0.000	1.200	1.200	127

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	श्यामा टोरी	3	3.800	3.400	7.200	119
15	करोंदी	25	13.000	19.400	32.400	120
16	शाहपुर	5	2.600	5.200	7.800	120
17	लहदपुर	1	1.600	3.000	4.600	121
18	शीतलपुर	11	6.000	8.000	14.000	121
19	ध्यानपुर	3	1.600	2.400	4.000	122
20	भियाखेड़ी	3	0.000	5.400	5.400	133
21	पाठखेड़ा	3	0.000	2.000	2.000	110
22	हैदर	3	1.800	1.000	2.800	118
23	भौंरा	4	5.000	5.600	10.600	138
24	डेगा (मोचार)	1	0.000	0.400	0.400	126
25	वनौरा चक्क	2	0.000	0.400	0.400	126
26	जंधार	1	1.000	0.000	1.000	130
	योग . .	131	76.800	121.000	197.800	

केन्द्र —सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर

1	सान्दोह	3	0.500	3.000	3.500	
2	अमाही	2	0.500	1.000	1.500	103
3	कनेरा	2	0.000	2.000	2.000	106
4	पाकरोड	2	0.000	0.600	0.600	105
5	फुटेरा	2	10.000	0.000	10.000	108
6	चन्दन बेहटा	6	1.000	9.400	10.400	102
7	पिपरेसरा	2	2.500	0.600	3.100	115
8	महाना	1	0.500	1.000	1.500	102
9	पिपरिया	2	0.000	3.000	3.000	122
10	जनोदा	1	0.500	2.000	2.500	106
11	मूडरा ढाकोनी	2	0.000	4.400	4.400	125
12	राजतला	2	1.000	3.000	4.000	102
13	सेमर खेड़ी	8	3.000	12.000	15.000	106
14	रूहाना	7	2.000	6.000	8.000	105
15	छैलाई	1	0.000	0.600	0.600	103
	योग .	.43	21.500	48.600	70.100	

केन्द्र —अचलगढ़, जिला अशोकनगर

1	अचलगढ़	44	34.800	44.300	79.100	128
2	देवपुर	1	0.000	0.800	0.800	135
3	सिंगारदा	3	6.400	7.200	13.600	130
4	कालपीचक	2	3.600	7.200	10.800	130
5	हंसनगर	7	5.400	13.800	19.200	132
6	जनकपुर खिरिया	1	0.000	0.400	0.400	136
7	ढिमचौली	3	1.600	1.600	3.200	139
8	पारकना	2	4.600	4.000	8.600	142

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	सहराई	6	2.800	9.200	12.000	134
10	पठारी	3	1.200	1.700	2.900	142
11	कारातला	2	1.200	1.400	2.600	138
12	मूडरी	4	1.000	14.400	15.400	124
13	केनवारा	6	1.200	19.300	20.500	128
14	खोरीबरी	1	2.800	1.000	3.800	123
15	चिरोली	1	3.200	0.800	4.000	145
	योग . .	86	69.800	127.100	196.900	

केन्द्र —चन्देरी, जिला अशोकनगर

1	खलीलपुर	2	1.200	3.400	4.600	135
2	मीठाखेडा	2	0.000	1.600	1.600	161
3	गरेठी	2	0.000	5.200	5.200	123
4	कुरवासा	1	0.000	0.400	0.400	137
5	नावनी	11	11.400	17.200	28.600	155
6	तगारी	1	0.000	0.200	0.200	132
7	बडेरा चक्क	2	0.000	1.000	1.000	155
8	मोहनपुर	2	0.200	0.600	0.800	157
9	हंसारी	1	0.000	0.200	0.200	153
10	जारसल चक्क	7	0.000	3.200	3.200	153
11	नयाखेड़ा	2	0.600	0.000	0.600	
12	बडेरा	3	0.700	0.000	0.700	
	योग . .	36	14.100	33.000	47.100	

केन्द्र —बहादुरपुर, जिला अशोकनगर

1	कुम्हर्रा	1	0.000	3.000	3.000	135
2	चाचूखेड़ा	1	1.200	0.000	1.200	154
3	ढुडेर	1	0.400	0.000	0.400	101
4	भेडका	7	1.200	16.200	17.400	151
5	दमदमा	1	1.200	0.000	1.200	130
6	बर्री	6	9.800	9.600	19.400	135
7	रमपुरा	10	0.000	7.800	7.800	155
8	पिपरिया	1	0.000	5.000	5.000	134
9	हाजूखेड़ी	2	0.000	5.000	5.000	130
10	गीलारोपा	2	1.200	1.000	2.200	125
11	मलावनी	1	0.000	1.000	1.000	110
12	नेकहाई	1	0.000	2.400	2.400	123
13	मल्हारगढ़	1	0.000	1.000	1.000	161
14	खुजराई	1	0.000	0.600	0.600	125
15	हाँसली	1	0.000	1.000	1.000	137

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	बगवा	2	4.000	4.200	8.200	138
17	मूडरा बहादरा	1	0.000	1.000	1.000	110
18	मूडरा खाना	2	1.600	3.000	4.600	105
19	बिजलीपुर	1	0.000	0.800	0.800	110
20	बमौरी शाला	2	3.600	0.000	3.600	175
	योग . .	45	24.200	62.600	86.800	

केन्द्र —सिरोंज, जिला विदिशा

1	नेवली	5	3.200	5.500	8.700	63
2	लटेरी	3	2.000	3.000	5.000	70
3	मोहब्बतपुर	15	6.300	10.000	16.300	65
4	गोपी तलैया	9	3.000	8.500	11.500	81
5	मोहनपुर	6	1.500	5.000	6.500	73
6	मूडरा सागर	7	4.000	6.400	10.400	127
7	मुरारिया	6	4.200	5.400	9.600	115
8	शहरखेड़ा	5	5.200	2.000	7.200	80
9	टोंकरा	7	1.800	5.600	7.400	73
10	छिरारी	8	2.200	4.000	6.200	90
11	सौजना	6	6.400	6.200	12.600	67
12	ढिमरौली	10	4.800	5.500	10.300	81
13	घुटुआ	5	2.600	2.400	5.000	75
14	मुरवास	6	3.000	2.000	5.000	85
15	इस्लाम नगर	4	3.600	3.000	6.600	58
16	रतनगढ़	15	4.000	15.000	19.000	114
17	बरखेड़ा घूस	16	6.400	9.000	15.400	75
18	धरगा	25	17.000	20.000	37.000	71
19	सगड़ा	11	7.200	10.000	17.200	74
20	आमखेड़ा	12	6.200	12.000	18.200	101
21	सुगनाखेड़ी	9	5.600	4.000	9.600	90
22	बमौरी	10	5.000	4.000	9.000	128
23	पचमडी	1	0.400	0.000	0.400	125
24	वेदीबरेज	1	0.600	0.400	1.000	130
25	डगरवाडा	5	2.000	1.000	3.000	117
26	इकोदिया	1	0.400	0.000	0.400	120
27	बर्या	1	0.400	0.000	0.400	125
28	बलरामपुर	7	3.000	4.600	7.600	87
29	चंदपुरा	4	1.200	2.000	3.200	78
30	बरखेडादेव	2	1.800	2.500	4.300	76
31	जटपुरा	3	2.000	1.000	3.000	125
32	मण्डी बामौरा	4	3.400	5.000	8.400	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	बडेरा	6	2.000	3.000	5.000	110
34	महोटी	1	0.400	2.000	2.400	75
35	बरखेड़ा याकूब	10	7.200	7.000	14.200	80
	योग . .	246	130.000	177.000	307.000	

केन्द्र —कोलारस (कोलारस एवं बदरवास तह.) , जिला शिवपुरी

1	हरिपुर	12	11.000	13.600	24.600	142
2	केलदार	4	0.400	2.200	2.600	117
3	झाडेल	3	1.200	0.200	1.400	95
4	पायगा	4	0.000	0.600	0.600	147
5	ऐनवारा	1	0.100	0.100	0.200	155
6	नारायणपुरा	1	0.000	0.100	0.100	185
7	बृह्मथाना	2	0.300	0.300	0.600	156
8	डोडीयाई	1	0.000	0.200	0.200	165
9	रन्नौद	3	0.500	1.400	1.900	126
10	पडौरा	1	0.000	1.000	1.000	115
11	रामगढ़	1	0.000	0.300	0.300	126
12	मझैरा	1	0.600	0.000	0.600	125
13	सजाई	1	0.000	0.400	0.400	180
14	बांसखेड़ी	1	0.400	0.000	0.400	144
15	निवोदा	2	0.000	0.400	0.400	115
16	पिपरौदा	3	0.100	1.600	1.700	187
17	ढैकुआ	1	0.000	0.400	0.400	95
18	खरैह	1	0.200	0.100	0.300	138
19	पचावला	1	0.000	2.100	2.100	145
20	बरोदिया	1	0.000	2.800	2.800	143
21	सिगरौदा	1	0.000	0.300	0.300	167
22	बागरौद	1	0.000	0.300	0.300	180
23	चक्क पारागढ़	5	7.200	15.500	22.700	150
24	गिठौरा	1	0.000	4.000	4.000	165
25	भटुआ	1	1.200	0.400	1.600	113
26	गिलटौरा	2	0.600	0.000	0.600	130
27	गुरूकदवाया	1	0.300	0.000	0.300	135
28	मथना	1	0.300	0.000	0.300	140
29	बीजरीचक्क	2	1.000	0.000	1.000	137
30	इन्दार	1	0.300	0.000	0.300	132
	योग . .	61	25.700	48.300	74.000	

केन्द्र —सीहोर, जिला सीहोर

1	सीहोर	-	5.000	2.000	7.000	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	खजूरिया बंगला	–	7.000	5.000	12.000	250
3	सुकलिया	–	2.000	1.000	3.000	250
4	शेखपुरा	–	0.500	0.400	0.900	250
5	मगरखेडा	–	0.400	0.200	0.600	250
6	मुंगावली	–	2.000	3.000	5.000	250
7	गुड़बेला	–	2.800	1.500	4.300	250
8	खण्डुआ	–	1.000	0.800	1.800	250
9	मोहाली	–	3.000	2.500	5.500	250
10	खजूरिया बगला	–	8.000	7.000	15.000	250
11	रायपुरा	–	1.000	0.600	1.600	250
12	खजूरिया	–	5.000	4.600	9.600	250
13	देहखेडी	–	2.000	1.000	3.000	250
14	माना	–	3.000	2.400	5.400	250
15	हथाईखेडा	–	2.000	1.600	3.600	250
16	सेवनिया	–	2.000	2.500	4.500	250
17	खजूरिया कला	–	3.000	2.000	5.000	250
18	बिजलोन	–	12.000	10.000	22.000	250
19	पीपल्याम मीरा	–	2.000	0.600	2.600	250
20	रनायल	–	8.000	6.800	14.800	250
21	खातीखेडी	–	2.600	1.800	4.400	250
22	जाजन खेडी	–	1.400	1.000	2.400	250
23	झागरिया	–	4.000	3.500	7.500	250
24	हथिया खेडा	–	3.000	2.500	5.500	250
25	कोन्हाझिर	–	6.000	4.600	10.600	250
26	आमला	–	0.600	1.000	1.600	250
27	जहांगीरपुरा	–	2.800	3.000	5.800	250
28	रतनपुर	–	3.000	2.500	5.500	250
29	अलहदाखेड़ी	–	2.000	1.800	3.800	250
30	शास्ताखेडी	–	10.000	6.000	16.000	250
31	हस्नावाद	–	2.000	1.600	3.600	250
32	वारवांखेडी	–	2.500	1.500	4.000	250
33	जमनी	–	1.900	1.200	3.100	250
34	पारुआ	–	5.000	3.400	8.400	250
35	मोहम्मदपुर	–	3.400	3.000	6.400	250
36	सोठी	–	3.000	2.900	5.900	250
37	विछिया	–	2.000	2.700	4.700	250
38	तिलावद	–	4.000	5.000	9.000	250
39	बरखेड़ाहसन	–	3.000	2.500	5.500	250
40	मोनूखेडी	–	5.000	4.000	9.000	250
41	आमाझिर	–	4.800	3.000	7.800	250
42	इच्छावर	–	4.000	1.000	5.000	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	रफीकगंज	–	2.000	1.500	3.500	250
44	उलझावन	–	2.000	1.000	3.000	250
45	तूमड़ा	–	3.000	3.400	6.400	250
46	सारंगाखेडी	–	8.000	6.000	14.000	250
47	धनखेड़ी	–	4.000	5.500	9.500	250
48	बिजलोन	–	10.000	5.400	15.400	250
49	बरखेडा	–	4.000	5.000	9.000	250
50	देहरिया	–	4.500	6.800	11.300	250
51	खेडापुरा	–	2.000	4.600	6.600	250
52	पचपीपल्या	–	3.000	2.000	5.000	250
53	छापरी	–	4.000	2.800	6.800	250
54	सिलावद	–	12.000	5.300	17.300	250
55	मानपुरा गुजराती	–	2.000	3.000	5.000	250
56	भागौरा	–	3.900	3.000	6.900	250
57	पीपल्या रसौडा	–	4.800	5.000	9.800	250
58	पाटन	–	2.500	3.000	5.500	250
59	बिशनखेडी	–	5.000	6.000	11.000	250
60	परवरिया	–	8.000	12.000	20.000	250
61	रसलपुरा	–	3.600	3.500	7.100	250
62	अथाईखेडी	–	4.400	5.400	9.800	250
63	वागरा	–	6.000	7.000	13.000	250
64	वांगरी	–	5.000	3.500	8.500	250
65	तोरनिया	–	2.000	1.500	3.500	250
66	सुरवलिया	–	4.000	3.000	7.000	250
67	बड़वेली	–	3.500	2.500	6.000	250
68	जमोलिया	–	3.000	2.800	5.800	250
69	कुलासखुर्द	–	15.000	12.000	27.000	250
70	कुलासकलां	–	7.000	8.000	15.000	250
71	जुझारपुर	–	3.000	4.000	7.000	250
72	तूमड़ा	–	8.000	6.000	14.000	250
73	रघुनाथपुरा	–	5.000	6.000	11.000	250
74	जुझालपुरा	–	3.000	7.000	10.000	250
75	ढावला माता	–	4.000	6.000	10.000	250
76	बृजेश नगर	–	1.000	1.000	2.000	250
77	बड़ोदिया	–	5.000	3.000	8.000	250
78	मोहनपुर	–	1.000	3.000	4.000	250
79	सुआ खेडा	–	1.000	2.000	3.000	250
80	बोरदी कला	–	5.000	3.000	8.000	250
81	झाल पिपली	–	1.000	2.000	3.000	250
82	दिवडिया	–	1.000	1.000	2.000	250
83	नया पुरा	–	1.000	2.000	3.000	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84	कोडिया	–	1.000	3.000	4.000	250
85	लसूड़ियाकांगर	–	6.000	4.000	10.000	250
86	जामली	–	4.000	3.000	7.000	250
87	बावडिया मेसाई	–	2.000	1.000	3.000	250
88	पगरिया हार	–	3.000	2.000	5.000	250
89	नरेला	–	6.000	3.000	9.000	250
90	नापली	–	4.000	3.000	7.000	250
91	खाचरोद	–	6.000	2.000	8.000	250
92	जावर	–	8.000	15.000	23.000	250
93	पीपल्या रामदास	–	1.000	2.000	3.000	250
94	सिद्दीकी गंज	–	1.000	3.000	4.000	250
95	मुल्लानी	–	1.000	0.600	1.600	250
96	जामुनियाजोहर	–	8.000	6.000	14.000	250
97	कचनारिया	–	2.000	8.000	10.000	250
98	जामोनिया गोप	–	3.000	6.000	9.000	250
99	मैना	–	2.000	3.000	5.000	250
100	सेवदा	–	3.500	1.000	4.500	250
101	सावत खेडी	–	2.000	1.500	3.500	250
102	जहांगीरपुरा	–	1.800	1.400	3.200	250
103	खाम खेडा	–	2.600	2.000	4.600	250
104	हाजी पुर	–	3.000	4.000	7.000	250
105	टीलाखेड़ी	–	5.000	4.200	9.200	250
106	हरनावदा	–	4.000	3.500	7.500	250
107	सलूड पुर	–	3.000	1.200	4.200	250
108	बारोद	–	1.500	0.000	1.500	250
109	कर्मा खेडी	–	1.000	0.400	1.400	250
110	भौंरासा	–	0.000	1.000	1.000	250
111	निपानिया कला	–	0.400	0.600	1.000	250
112	दुपाडिया	–	2.000	1.500	3.500	250
113	आष्ठा	–	8.000	6.500	14.500	250
114	खजूरी	–	4.000	3.400	7.400	250
	योग . .	0.000	424.700	388.300	813.000	

केन्द्र—कैलारस, जिला—मुरैना

1	बराकला	10	1.000	3.900	4.900	350
2	दोर्द	8	0.800	1.200	2.000	350
3	सुनवई	10	1.500	2.900	4.400	350
4	इकलौद	4	1.000	1.300	2.300	350
5	गढी	5	0.500	0.600	1.100	350
6	आरोन	4	0.600	0.800	1.400	350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	इटवई	23	2.000	5.000	7.000	350
8	धागिनी	9	1.000	1.800	2.800	350
9	बैनीपुरा	5	0.400	0.700	1.100	350
10	झापर	6	1.000	1.300	2.300	350
11	धरसौला	32	4.000	16.500	20.500	350
12	झारेला	10	2.000	1.800	3.800	350
13	सलमपुर	10	1.000	2.400	3.400	350
14	जलालगढ	2	1.000	0.500	1.500	350
15	देवरा	5	1.000	1.300	2.300	350
16	सालई	2	0.400	0.400	0.800	350
17	सिनरौदा	15	2.000	3.000	5.000	350
18	बड़ागाँव	10	2.000	3.500	5.500	350
19	टेलरी	3	1.000	1.200	2.200	350
20	रामपुर	50	6.000	19.200	25.200	350
21	सहसराम	9	2.000	2.200	4.200	350
22	कुशमानी	16	2.500	6.700	9.200	350
23	भट्टपुरा	6	0.800	1.400	2.200	350
24	महेशपुर	6	1.500	1.800	3.300	350
25	निकोडी	7	3.000	2.300	5.300	350
26	पपचौन	13	1.000	2.800	3.800	350
27	धूरकूड़ा	15	2.000	4.700	6.700	350
28	सिरसी	12	3.000	4.600	7.600	350
29	देवकच्छ	15	3.000	8.700	11.700	350
30	पनोरा	5	1.000	2.300	3.300	350
31	साँईपुरा	8	1.500	2.600	4.100	350
32	सगोरिया	16	2.000	2.800	4.800	350
33	वराहनी	25	1.000	3.500	4.500	350
34	बरौली	10	0.500	1.300	1.800	350
35	तिलोंजरी	2	0.600	0.700	1.300	350
36	बसैड़ी	3	0.800	1.500	2.300	350
37	सिंगाचौली	5	0.600	1.600	2.200	350
38	संकरा	13	1.500	3.000	4.500	350
39	कट्टोली	8	1.000	1.200	2.200	350
40	सेमई	12	2.000	4.100	6.100	350
41	खैरांकला	15	3.500	5.200	8.700	350
42	देवपुर	6	1.000	1.600	2.600	350
43	जनुआपुरा	4	0.600	1.500	2.100	350
44	मागरोल	2	0.400	0.500	0.900	350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	माधौगढ़	4	0.800	1.100	1.900	350
46	बराहना	5	0.500	1.200	1.700	350
47	बसौली	6	1.000	1.600	2.600	350
48	भूरावली	13	2.500	5.300	7.800	350
49	फुलोंदा	15	2.000	4.600	6.600	350
50	ठडसोराकापुरा	40	6.000	16.500	22.500	350
51	पहाड़गढ़	6	0.500	1.100	1.600	350
52	टेलरी	1	0.400	0.500	0.900	350
53	भुरावलीकापुरा	44	13.000	23.000	36.000	350
54	मरा	2	2.000	4.200	6.200	350
55	सुजेमियांकापुरा	4	0.400	0.500	0.900	350
56	सुमावली	6	2.000	1.100	3.100	350
57	रूअर	2	0.400	0.300	0.700	350
58	सुसानी	1	0.200	0.300	0.500	350
59	दिजपुरा	2	0.400	0.400	0.800	350
60	कीरतपुर	6	1.200	1.400	2.600	350
61	निटहरा	15	2.000	3.900	5.900	350
62	हथरिया	2	0.400	0.500	0.900	350
63	बघेल	4	0.600	0.600	1.200	350
64	जलालपुर	12	1.500	4.500	6.000	350
65	धिनोरा	5	0.500	2.000	2.500	350
66	सिमरौदा	6	0.600	2.600	3.200	350
67	निधान	4	1.000	1.600	2.600	350
68	अलापुर	2	0.400	0.400	0.800	350
69	सिकरौदा	3	0.500	0.500	1.000	350
70	करौंदी	4	0.600	0.700	1.300	350
71	पृथ्वीपुरा	4	0.600	0.700	1.300	350
72	डोंगरपुर आसन	3	0.600	0.800	1.400	350
73	मुदावली	5	1.000	1.100	2.100	350
74	थरा	10	1.500	3.500	5.000	350
75	बिलगंज	20	2.500	6.300	8.800	350
76	परताज	30	7.500	16.000	23.500	350
77	छडेह	15	6.000	8.000	14.000	350
78	घाडौर	3	0.600	0.600	1.200	350
79	झालेकापुर	1	0.200	0.200	0.400	350
80	नरहेला	5	0.900	0.900	1.800	350
81	जयरामपुरा	7	1.500	3.600	5.100	350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82	धमकन	10	2.000	4.800	6.800	350
83	लालवांस	2	0.400	0.600	1.000	350
84	कुम्हेरी	2	0.400	0.500	0.900	350
85	वृसंगपुरा	5	0.600	0.800	1.400	350
86	छैरा	3	0.600	0.700	1.300	350
87	लखेजरा	20	7.000	10.600	17.600	350
88	खानकापुरा	15	2.500	8.300	10.800	350
89	कीरतपुर	20	4.000	9.200	13.200	350
90	रामपहाड़ी	6	1.500	2.600	4.100	350
91	मांगरौल	22	6.000	11.200	17.200	350
92	जनकपुर	8	3.000	3.200	6.200	350
93	सबलगढ़	25	4.000	13.800	17.800	350
94	बेरई	12	3.000	3.600	6.600	350
95	पिपरघान	16	5.000	5.900	10.900	350
96	सुनहरा	52	8.500	20.000	28.500	350
97	धाडौर	12	1.000	2.600	3.600	350
98	रामपुरा कलां	15	3.000	6.900	9.900	350
99	कटघर	6	0.600	1.000	1.600	350
100	कितपुर	35	4.000	11.500	15.500	350
101	पिपररूआ	16	2.500	6.600	9.100	350
102	रामपुर	5	1.000	1.200	2.200	350
103	झीलमपुर	3	0.600	0.600	1.200	350
104	झोंडाकापुरा	20	1.500	4.300	5.800	350
105	इटवा	5	1.000	1.000	2.000	350
106	रानापुरा	25	3.500	7.300	10.800	350
107	बुद्रकापुरा	21	3.800	7.500	11.300	350
108	कुतघान	10	2.000	2.300	4.300	350
109	टोंगा	35	6.500	15.900	22.400	350
110	नारायणपुरा	25	5.000	11.100	16.100	350
111	पासौन खुर्द	25	4.500	13.500	18.000	350
112	पासौन कला	20	6.500	10.600	17.100	350
113	पहाड़ी	30	7.000	16.500	23.500	350
114	बधरेटा	12	3.000	8.300	11.300	350
115	मोरीपुरा	3	0.400	0.500	0.900	350
116	विरहनीकापुर	1	0.200	0.200	0.400	350
117	हटीपुरा	10	1.000	1.300	2.300	350
118	गुजरवा	4	1.200	1.500	2.700	350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	चौकी	7	2.500	1.100	3.600	350
120	नैपरी	6	1.000	1.200	2.200	350
121	सुरापुरा	10	1.000	1.300	2.300	350
122	सहदपुर	33	5.000	10.200	15.200	350
123	चेतापुरा	1	2.000	2.300	4.300	350
124	कुहरावली	15	5.000	6.200	11.200	350
125	ऐचोली	43	6.500	18.000	24.500	350
126	मुरवईकापुरा	30	5.500	15.000	20.500	350
127	जयरामपुरा	25	4.500	10.500	15.000	350
128	तोर	5	1.000	1.200	2.200	350
129	बडमन	2	0.400	0.500	0.900	350
130	चनौटी	8	1.600	1.900	3.500	350
131	महेवा	15	1.500	5.500	7.000	350
132	वनोटीकापुरा	16	2.000	4.300	6.300	350
133	खेडाकला	43	6.500	20.500	27.000	350
134	आसलपुर	6	1.000	1.200	2.200	350
135	निरारा	5	1.000	1.800	2.800	350
136	वीमरपुर	15	3.500	7.500	11.000	350
137	कुठरावली	50	8.500	25.000	33.500	350
138	खुमानकापुरा	30	6.500	18.500	25.000	350
139	चौंडेरा	4	1.000	1.000	2.000	350
140	केथकापुरा	1	0.400	0.400	0.800	350
141	सुजर्मा	6	1.000	1.200	2.200	350
142	रीझोनी	12	3.000	3.500	6.500	350
143	वृहगवाजना	2	0.400	0.400	0.800	350
144	बस्तोलीपुरा	16	3.500	6.000	9.500	350
145	बस्तोली	55	6.500	18.000	24.500	350
146	चमरगवाँ	23	4.500	11.500	16.000	350
147	माधौपुरा	8	1.000	2.500	3.500	350
148	फूलपुरा	1	0.200	0.200	0.400	350
149	सुजानगढ़ी	16	1.500	4.000	5.500	350
150	कैलारस	7	1.000	2.300	3.300	350
151	खेरामानगढ़	56	8.500	22.000	30.500	350
152	महादवेपुरा	5	0.600	1.400	2.000	350
153	तोरिका	10	1.200	2.500	3.700	350
154	कुर्रोली	33	6.500	23.300	29.800	350
	योग . .	1949	346.900	741.900	1088.800	

राज्य शासन के आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सूचना

क्र. एफ-3-164-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 3 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-164-2011-बत्तीस, दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खजूरी कलॉ	816, 824/1, 825/2, 828/1/2, 825/1/क, 825/1/ख, 828/1/1/ख, 827/1, 827/2,	8.842 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय
		योग . .	8.842 हेक्टेयर		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 60125600.00/- (रुपये छः करोड़ एक लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये मात्र) दिनांक 29 नवम्बर 2012 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टी. टी. नगर, ब्रांच भोपाल के चेक क्रमांक 033773 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. खजूरी कलॉ मुख्य मार्ग से उपांतरित की जाने वाली भूमि तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन से स्पेसिफिकेशन एवं प्राक्कलन तैयार कराये गये हैं. जिसके अनुसार पूर्व से निर्मित 6 मीटर चौड़े क्रांक्रीट मार्ग को 7.5 मीटर चौड़ा करने तथा शेष भाग में 10 मीटर फर्मिशन चौड़ाई के साथ 7.5 मीटर बी.टी. मार्ग निर्माण करना न्यूनतम रूप से अनिवार्य होगा. आवेदक चाहे तो इससे उच्च स्पेसिफिकेशन के साथ भी मार्ग का निर्माण कर सकता है.

3. उक्त मार्ग के निर्माण में राजधानी परियोजना द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन के अनुसार रुपये 42.41 लाख का व्यय आंकलित है. आवेदक संस्था उक्त राशि से आधी अर्थात् 21.20 लाख की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा कर दी गई है.

4. भुजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगी.

5. स्टार्म वाटर ड्रेन बनानी होगी.

6. सक्षम प्राधिकारी नगर तथा ग्राम निवेश, बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.

7. आवेदक संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करने पर उसकी रिपोर्ट कार्यपालन संचालक म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी.

8. कार्यपालन संचालक म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ, यह संतुष्ट होने के बाद कि प्रश्नाधीन मार्ग उपरोक्त कण्डिका-2 में उल्लेखित प्राक्कलन के अनुरूप अथवा उसके उच्च स्पेसिफिकेशन के साथ में निर्मित कर लिया गया है, तदोपरान्त बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.

9. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक, म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था प्राप्त करने के 24 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक, म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा. बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ का होगा, तथा वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक संस्था को उक्त उल्लेखित 24 माह की अवधि को भी बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे.

10. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना ही अगर उक्त बैंक गारंटी समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. एफ.-6-17-2010-सात-4-ए.—मध्यप्रदेश जिला कार्यालय कार्यवाही निर्देशिका के अध्याय-16 के अन्तर्गत अनियत लेखकों (Section Writers) की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था है. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी जिले में अनियत लेखकों (Section Writers) की नियुक्ति नहीं की जाए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2011

क्र. एफ.-10-7-2010-सात-4-ए.—राज्य शासन, एतद्द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2010 के पूर्व से जिलों में कार्यरत खण्ड लेखकों को 130/- (रुपये एक सौ तीस) प्रतिदिन विश्राम दिवस काटकर निश्चित पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक 445-724-बी-5-10, दिनांक 17 सितम्बर 2010, 522-918-बी-5-10-चार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 एवं 26-32-बी-5-11, दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा दी गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. खलखो, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ.-10-7-2010-सात-4-ए-**संशोधन आदेश.**—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2011 को जारी आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के पूर्व से जिलों में कार्यरत खण्ड लेखकों को कुशल श्रमिक के समान परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के साथ पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 445-724-बी-5-10, दिनांक 17 सितम्बर 2010, 522-918-बी-5-10-चार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 एवं 26-32-बी-5-11, दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा दी गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.